# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1896/2017

GCMS NO. : 2017/00421

–:: प्रार्थी ::–

1. भागीरथ पुत्र हीरा जाति– रेगर, निवासी ग्राम बलुन्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति रेगर निवासी बलुन्दा तहसील जैतारण।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, जैतारण, जिला पाली, राजस्थान।

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजूः 22/12/2017**

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री शिवरत्न भण्डारी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

**दिनॉकः 22/06/2022**

## –:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व भौजा ग्राम बलुन्दा तहसील जैतरण जिला पाली राज0 मे सायल एवं गैरसायल संख्या एक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है जिस पर सायल एवं गैरसायल संख्या एक काबिज खातेदार काश्तकार है। इस भूमि को आगे प्रार्थनापत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019, सम्वत् 2020 से 2023, सम्वत् 2024 से 2027, सम्वत् 2028 से 2031 सम्वत् 2032 से 2035, सम्वत 2036 से 2039, सम्वत 2040 से 2046 तक की प्रमाणित प्रति एवं नामान्तरणकरण संख्या 4966 दिनांक 20.05.2016 प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जाते। सायल एवं गैरसायल संख्या एक की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है खाता संख्या 1469 खसरा नम्बर 1452 रकमबा 07–00 बीघा, खसरा नम्बर 1477 रकबा 04–15 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 11–15 बीघा किस्म दोयम उपरोक्त आराजी की कृषि भूमि में सायल का 2/3 हिस्सा है एवं गैरसायल संख्या एक का 1/3 हिस्सा है एवं इसी प्रकार सायल एवं गैरसायल संख्या एक अपने हिस्से माफिक मौके पर कब्जा कारत है जो उक्त आराजी की कृषि भूमि संयुक्त एवं सामलाती है जिसका अभी तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के कोई बंटवाडा नही हुआ। सम्पूर्ण भूमि शामलाती है। [illegible] प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या दो में वर्णित पैतृक कृषि भूमि है जो सायल को अपने [illegible] हीरालाल पुत्र पुनाजी के फौत हो जाने पर विरासत मे सायल एवं गैरसायल संख्या एक को [illegible] हुई थी यानि [illegible] हीरालाल के फौत हो जाने से जरिये नामान्तरणकरण संख्या 4966 दिनांक 29/05/2016 को विरासत में हल्का पटवारी बलुन्दा द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जो सायल खातेदार काश्तकार है। वंशवृक्ष/सजरा खानदान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

अनुसार स्वर्गीय पूना पुत्र धूला के दो पुत्र प्रभूराम व हीरालाल पैदा हुये थे जो इनमे से प्रभूराम अपने सगे बढे पिता श्री कचराराम के गोद चला गया था तो सम्पूर्ण आराजी की कृषि भूमि पूना पुत्र धूला के फौत होने से विरासत में सायल के पिता हीरालाल के अकेले के नाम से राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद किया गया और हीरालाल पुत्र पूना के फौत होने से इसकी जायन्दा संतान सायल भागीरथ, गैरसायल भंवरलाल व पुत्री गीता के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया था जो विरासत में प्राप्त हुई थी। तब से सायल खातेदार काश्तकार है। सायल फौज मे नौकरी करता था जो सेवानिवृत हो चुका है सेवानिवृत होने के बाद सायल की आंखो की रोशनी चली गई बिल्कुल ही अन्धा हो गया चलने फिरने में असमर्थ है यानि परिवार का सदस्य हाथ पकडकर ले जावे तो चला सकता है सायल नौकरी के समय से ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिये बीकानेर ही रहता है और समय समय पर होली, दिपावली, रक्षा बन्धन शादी विवाह मौत मृतंग पर एवं अन्य सामाजिक उत्सव होने पर एवं अपने हिस्से की कृषि भूमि में फसल बोने हेतु आता जाता रहता है। गैरसायल भंवरलाल सायल भागीरथ से बडा है जो शुरू से ही इसकी नियत में खोट है। सायल भागीरथ बीकानेर रहता है जो इसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाने की नियत से पिता हीरालाल को मुगालते में रखते हुये रेवासी मकान का पट्टा सोने चांदी के जेवरात ठसंदूतएवं रोकड रूपये गैरसायल ने हीरालाल से छीनकर ले लिये और कहा कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई चल फिर नही सकते है इसलिये मेरे पास रहने दो और आपके सौ वर्ष पहुंचने के बाद हम दोनो भाई 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार बंटवाडा करके सायल को दे दुर्गा एवं सामुहिक पैतृक पुश्तैनी मकान है इसमे भी 1/2 हिस्सा भागीरथ को दे दुगां जो सायल एवं गैरसायल के पिता हीरालाल के देहान्त होने के बाद बाहरवा गंगाजली का सम्पूर्ण खर्चा का हिसाब करके सायल ने 1/2 हिस्से का खर्चा गैरसायल को रोकड दे दिये कोई लेन देन बकाया नही रहा और कहा कि आप वापस आयेगे तब रेहवासी मकान मय प्लोट एवं जमीन का बंटवाडा करके 1/2 हिस्सा आपको दे दुगां जो सायल द्वारा पिच्छले कई महिनो से बार बार कहने एव निवेदन करने पर भी सायल को गैरसायल संख्या एक भंवरलाल ने 1/2 हिस्से की जमीन एवं मकान जो पैतृक पुश्तैनी है जिसका बंटवाडा नही कर रहा है न ही सायल का हक राजस्व रेकर्ड मे तरमीम करा रहे है और कहता है कि अब मै रेहवासी मकान प्लोट व उक्त आराजी की कृषिभूमि मे कोई हक हिस्सा व अधिकार नही दुगां न ही बंटवाडा करूगां गैरसायल कहता है कि मै अकेला ही काश्त करूगां और लाठी के बल पर हडप करके रहुगां। इस प्रकार गैरसायल संख्या एक की नियत में खोट है सायल का पुरा हक हडपना चाहता है जो सायल ऐसा हरगीज नहीं करने देगा। निकट भविष्य मे मकान व [illegible] जेवरात का 1/2 हिस्सा प्राप्त करने हेतु अलग से कार्यवाही की जायेगी। [illegible] विभाग मे सेवा निवृत एवं अन्धा व्यक्ति है जो लम्बे समय से बीकानेर मे रहते है सायल की आर्थिक स्थिति कमजोर है गैरसायल भंवरलाल को सायल द्वारा [illegible]ार बार कहने पर भी प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या दो मे वर्णित आराजी की कृषि भूमि एवं रेहवासी मकान व प्लोट का बंटवाडा नही कर रहा है न ही संतोषजनक जबाब दे रहा है। सायल की आर्थिक स्थिति को मध्य संदंतनजर रखते हुये शायल भागीरथ की बहीन गीता ने अपने 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

हिस्से की कृषि भूमि को सायल के एक में दिनांक 20/11/2017 को श्रीमतिमीतादेवी पुत्री हीरालाल ने अपना हिस्सा सायल के ह कमे रजिस्टर्ड हकतर्कनामा कर दिया जो इसके आधार पर हल्का पटवारी ने सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जो उक्त आराजी की कृषि भूमि में सायल का 2/3 हिस्सा है एवं गैरसायल का 1/3 हिस्सा है इसी हिस्से माफिक सायल बंटवाडा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या दो मे वर्णित आराजी की कृषि भूमि का 2/3 हिस्सा है एवं गैरसायल संख्या एक का 1/3 हिस्सा है इसी हिस्से अनुसार मौके पर मना गना बंटवाडा किया हुआ है परन्तु कृषि भूमि संयुक्त एवं शामलाती है इसका कानूनी रूप से बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा किया हुआ नही है जो सायल इसी हिस्से माफिक बंटवाडा करवाना चाहता है इस बाबत गैरसायल को कई बार बंटवाडा करवाने का निवेदन किया तो गैरसायल आनाकानी करता रहा। सायल अभी दिनांक 29/11/2017 को अपनी पत्नी व लडको के साथ बीकानेर से आया और सायल एवं इसकी बहिन गीतादेवी एवं परिवार के सदस्यों ने गैरसायल संख्या एक भंवरलाल को समझाईश की परन्तु बंटवाडा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तब सायल दिनांक 30/11/2017 को तहसील कार्यालय जैतारण गया और इसी दिनांक को जमाबंदी की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की तब इसकी जानकारी हुई थी। सायल अपने हक व मालिकाना अधिकार की 2/3 हिस्सेकी कृषि भूमि पर आधुनिक तरीके से काश्त करना चाहता है काली मिट्टी उचित किस्म की खाद डालकर खेती करना चाहता है जिसके लिये बैंक से शाखपत्र बनवाये जाने की भीआवश्यकता है लेकिन भूमि शामलाती होने वजह से सायल अपना साखपत्र नही बनवा पा रहा है, जिस पर यह प्रार्थनापत्र ठतंदपेंअस्थाई निषेधाज्ञा का व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश है। सायल एवं गैरसायल उक्त आराजी की कृषि भूमि मे संयुक्त खातेदारी की कृषिभूमि मे आपसी सहमति से मौके पर मनागना बंटवाडा हो रखा है परन्तु नक्शा लट्ठा ट्रेस मे बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा होकर नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम नहीकिया हुआ है इसलिये खेती एवं काश्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसिलये सायल उन्नत किस्म की खाद बीज डालकर खेती करना चाहता है और उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् की बंटवाडा करवाकर मौके पर पत्थरगड्डी करवाकर नक्शे ट्रेस मे तरमीम करवाकर अपने हिस्से का खाता व लगान अलग अलग करवाकर अलग से रेवेन्यु खाता अलग कर काश्त करना चाहता है ताकि आने वाले समय यानि कि भविष्य मे सायल एव गैरसायल को कोई कानूनी परेशानी नही हो इसलिये सायल की तरफ से गैरसायलान् के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अस्थाई निषे का व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान्जी की सेवा मे पेश किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या दो मे दर्शायी आराजी खसरा नम्बरान् [illegible] कृषि भूमि मे सायल का 2/3 हिस्सा की कृषि भूमि मे कब्जा काश्त [illegible] किसी रोकटोक के ऐज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग [illegible] है यदि सायल के 1/3 हिस्से की कृषि भूमि का बंटवाडा नही किया गया तो सायल को परेशानी का सामना करना पडेगा और सायल अपने जायज कानूनी हक हकूको से वंचित रह जायेगे और गैरसायल संख्या एक अपनी हठधर्मितासे लाठी के बल पर बेदखल करके सायल के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की कृषि भूमि पर गैरकानूनी रूप से कब्जा करके हडप करना चाहता है सायल कई वर्षो से बीकानेर रहता है काश्त के समय यहां आता जाता है सायल सेवानिवृत सैनिक कर्मचारी है सेवा निवृत होने के बाद ट्संदूंतआंखो की रोशनी चली गई इसका नाजायज फायदा उठाते की नियत से लाठी के बल पर गैरसायल सायल का 2/3 हिस्सा की कृषि भूमि हडप करना चाहता है जो सायल ऐसा हरगीज नहीं करने देगा यदि गैरसायल लाठी के बल पर सायल के हिस्से की कृषि भूमि मे कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करेगे तो मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसीडिंग्स् होगी बार बार कानूनी कार्यवाही करनी पडेग जिससे खर्चे से जेरबार होना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सुरत मे सम्भव नही होगी। इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष मे बखुबी साबित है। इसलिये न्यायहित में कानूनी रूप से बाईमीट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाकर मौके पर पत्थरगड्डी की जाकर नक्शे लट्ठा मे तरमीम किया जाकर सायल का रेवेन्यु खाता व लगान अलग किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है जो आज ही नोटिस डिस्पेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावें। गैरसायल संख्या दो तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर है जो राजस्व भूमि का मालिक है एवं बंटवाडा करने का अधिकार होने से कानूनी रूप से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो व मौके पर सायल का कब्जा काश्त है एवं खातेदार काश्तकार है इसलिये प्रथक दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष मे हर दृष्टिकोण से बखूबी साबित है यदि गैरसायल संख्या एक सायल जो आंखो से अन्धा है एवं रोशनी नही है बिल्कुल नही दिखता है को लाठी के बल पर बेदखल कर दिया तो सायल अपने कानूनी जायज हक हकूको एवं साम्पैतिक अधिकारो एवं खातेदारी काश्तकारी अधिकारो से महरूम हो जायेगा एवं सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सुरत मे सम्भव नही होगी व विविध प्रकार के मुकदमेबाजी होगी जिसमे सायल को खर्चे से जेरबार होना पडेगा इस कारण से इन8 सभी परिस्थितियों में सायल के पक्ष मे गैरसायल संख्या एक के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना कानूनी रूप से आवश्यक है इसलिए प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान् श्रीमान्जी के समक्ष सादर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा बलुन्दा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1452 रकबा 07-00 बीघा, खसरा नम्बर 1477 रकबा 04-05 बीघा कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा की कृषि भूमि मे सायल का 2/3 हिस्सा है एवं खातेदार काश्तकार है मौके पर एज अ०फ राईट के बिना किसी रोकटोक के कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है सायल जो अन्धा है आंखो से दिखता नही है इसका नाजायज फायदा उठाकर सायल के कब्जे काश्त मे गैरसायल स्वयं इनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट मजदूर एवं परिवार के सदस्य किसी भी [illegible] से कानून हाथ में लेकर दखलन्दाजी व दस्तन्दाजी नही करे न ही लाठी के बल पर बेदखल करे गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा सायल के पक्ष मे गैरसायलान् के विरुद्ध जारी फरमावे । प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो तो दिलाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 1 द्वारा वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायल संख्या 01 जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। गैरसायलान संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 1 का जबाब है कि राजस्व गांव बलून्दा मे खसरा नम्बर 1452, 1477 की जमीन सायल व गैरसायल के खातेदारी होने के पूर्व सायल व गैरसायल के पिता हीरालाल जी के नाम खातेदारी जमीन बाबत् रेवेन्यु रेकर्ड मे इन्द्राज था और हीरालाल के पूर्व इनके पिता के नाम थी। परन्तु हीरालाल जी अपने जीवनकाल मे अपने पुत्र गैरसायल भंवरलाल जी के पास रहते थे इस कारण उपरोक्त खसरान् की जमीन रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा पर गैरसायल व सायल के पिता हीरालाल जी ही काश्त करते थे। सायल 50 साल से बीकानेर रहता है और वही नौकरी करता है व सपरिवार बीकानेर रहते है। हीरालाल जी के इन्तकाल के बाद वारिसान के तौर सायल व गैरसायल के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हुआ, परन्तु अपने पिता के जीवनकाल में ही मुतनाजा जमीन पर एक मात्र गैरसायल भंवरलाल जी का ही काश्त व कब्जा आज दिन चला आ रहा है। दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 2 का जबाब है कि सायल के कब्जे काश्त मे मुतनाजा जमीन नहीं है। हीरालाल जी ने अपने जीवनकाल मे गैरसायल को ही जमीन सुपुर्द करके गये थे सायल ने 50 सालो मे कभी भी पिता हीरालाल जी के देखभाल नही की न कभी सेवा चाकरी की थी, सायल ने नियत खराब बिल्कुल झूठा प्रार्थनापत्र जमीन हडपने के लिये किया है। दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 3 का जबाब है कि इस पद मे वंशावली दर्शायी गयी है। दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 4 मे लिखे कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। सायल 50 साल तक अपने पिताजी हीरालाल जी की कभी सेवा चाकरी नहीं की और कभी भी अपने पास नही ले गया और 50 साल से सपरिवार बीकानेर रहता है, सायल अपने पिता के इंतकाल पर भी दाह संस्कार में नहीं आया, इस कारण होली, दिपावली, रक्षा बन्धन, शादी विवाह मौत मरतंग पर व सामाजिक उत्सव पर कभी भी गांव बलून्दा मे नही आया था। जमीन हडपने के लिये झूठे कथनो को प्लीड किया है और गैरसायल की नियत में कोई खोट नहीं है और सायल भागीरथ ने बिल्कुल झुठे कथनों को प्रार्थनापत्र में प्लीड किया है। गैरसायल भंवरलाल ने पिता हीरालाल की सेवा चाकरी जीवनपर्यन्त की है जबकि सायल ने अपने पिता की एक दिन सेवा नहीं की है सायल स्वयं की नियत में खोट है गैरसायल की मां का देहान्त हुए। 35-40 साल हो गये इस कारण गैरसायल ने ही पिताजी हीरालाल जी की सेवा की है गैरसायल को ईश्वर का व पिता का आर्शीवाद मिला है। सायल ने फिके मे सफेद झुठ लिखा है सायल 50 साल से बीकानेर रहता है। [illegible] एक दिन सेवा चाकरी नहीं की है हीरालाल का देहान्त होने पर सायल [illegible] व उसके परिवार के सदस्य दाह संस्कार में भी नही आया, इस कारण हीरालाल के [illegible] गंगाप्रसाद पर खर्चा करने का सफेद झूठ है सायल की नियत से खोट है, [illegible]मल में अपने पिता की एक दिन भी सेवा चाकरी नहीं की फिर भी उनकी सम्पति में एक मांग रहा है जबकि उनके पास अचल सम्पति नहीं भी जो भी अचल सम्पति रेगरों के पास में है गैरसायल भवरलाल जी की स्वरा की व अपने पिता द्वारा गैरसायल को चेकर गये बरखास्त के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

फिफा नम्बर 5 में लिखे कथन पूर्णतया गलत प झूठे सायल ने अपनी बहन को गुकलता में रखकर जमीन का कतनामा कराया हैं। सायल भागीरथ पैसे वाला है, उसके पास पेंशन भी आती है जबकि गैरसायल गरीब व्यक्ति है अम वृद्धावस्था के कारण मजदूरी भी नहीं होती है गैरसायल बच्चों पर निर्भर है गुलनाजा जमीन गैरसावल के ही कारत व कब्जे में है। दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 6 मे लिखे कथन पूर्णतया गलत प झूठे हैं। सायल ने नियत खराब करके जमीन हड़पने के लिये झूठी च गलत कार्यवाही की है, जबकि सायल ने पिता हीरालाल जी की एक दिन सेवा नहीं की है। गैरसायल को सेवा चाकरी से खुश होकर गैरसायल को उसके पिता ने जमीन पूरी गैरसायल को देकर गये थे। बकाया फिके से लिखे कथन पूर्णतया गलत व झूठे हैं सायल किसी प्रकार की रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है। दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 7 मे लिखे कथन गलत व झूठे है किसी प्रकार का भूमि का बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। पिताजी के समय से आज नि तक गुतनाजा जमीन गैरसायल के काश्त व कब्जे में है। पिताजी ने खुश होकर पूरी जमीन गैरसायल को देकर गये थे सायल ने एक दिन पिताजी की सेवा चाकरी नहीं की है और कभी भी बीकानेर लेकर नहीं गया सायल की नियत में खोट है सायल धनवान व्यक्ति है इस गैरसायल को परेशान कर रहा है और खच्चे से जरबारकर रहा है ईश्वर सबको देख रहा है। कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 8 में लिखे कथन गलत व झूठे है सायल पैसो के बल गैरसायल को परेशान करने के लिये तुला हुआ है। सायल को हठधर्मिता छोडकर गैरसायल को तंग व परेशान नही करना चाहिए जबकि सायल को मालुम है कि मेरे पिताजी की। हमारी माताजी के गुजरने के बाद एक दीन सेवा चाकरी नहीं की। दरख्वास्त के फिकरानम्बर 9 का जबाब है कि इसमें वर्णित तमाम तथ्य गलत झूठे व बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है। सायल के पक्ष में किसी भी दृष्टिकोण से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णिय क्षति का बिन्दू प्रमाणित नही है इसके विपरीत जबाब देहन्दा गैरसायल के पक्ष मे ऊपर वर्णित तथ्यो, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर जबाब देहन्दा के कब्जे काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णिय क्षति का बिन्दू बखुबी प्रमाणित है। इसलिए सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे। अतः जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर [illegible]। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। अधि[illegible] दृष्टान्त 1. Citation: 2019 DNJ(SC) 370 & 2. RRD 1993 का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

***(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :-*** प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से यह जाहिर कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का कानूनन बाई मिट्स एवं बाउण्डस् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है तथा ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,

की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जो उभयपक्ष को उनके पिता हीरालाल से विरासतन प्राप्त हुई है, अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता हीरालाल की पुत्री गीता देवी ने अपना एक तिहाई हिस्सा पंजीकृत हकतर्कनामा से प्रार्थी भागीरथ के पक्ष में हकतर्क किया है। चूंकि उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित सहखातेदार है लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थी के पक्ष में निहित न होकर अपने हक हिस्से तक उभयपक्ष में निहित है। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थी के पक्ष में निहित है, अतः यह बिन्दू भली भांति साबित नही होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

***(02) सुविधा का संतुलन व (03) अपूर्णनीय क्षति :-*** प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी आराजी है तथा ऐसी आराजी में सुविधा का संतुलन अपने हक हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में निहित रहता है साथ ही सहखातेदार होने के बावजूद केवल अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना उसके लिए अपूर्णीय क्षति का कारण हो सकता है साथ ही प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने से प्रार्थी को किस प्रकार से अपूर्णीय क्षति होना संभव है, जबकि वह सहखातेदार है। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू केवल प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नही होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

***-: आदेश :-***

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)